न्यायालय मुन्सिफ

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–77 सन् 2014

बनारसी प्रसाद राय वो अन्य............................वादीगण।

बनाम

विनय कुमार सिंह वो अन्य..........................प्रतिवादीगण।

दिनांक– 01.12.2022

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी सं0 02 शिवपारसी प्रसाद राय की ओर से आदेश 22 नियम 3 के अंतर्गत दिनांक 31.08.2022 को दाखिल आवेदन पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी सं0 02 की ओर से आवेदन में कथन है कि प्रस्तुत वाद में वादी सं0 01 बनारसी प्रसाद राय की मृत्यु दिनांक 21.07.2022 को अपने कानूनी वारिसानों को छोड़कर हो गई है। ऐसी परिस्थिति में वादी सं0 01 के कानूनी वारिसानों को उनके स्थान पर प्रतिस्थापित करना अति आवश्यक है। अतः निवेदन है कि वादी सं0 01 का नाम वादपत्र से कलमजद कर उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित कर दिया जाए।

प्रतिवादी की ओर से उक्त प्रतिस्थापना आवेदन पर नो ऑब्जेक्शन लिखा गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी सं0 01 बनारसी प्रसाद राय की मृत्यु दिनांक 21.07.2022 को अपने कानूनी वारिसान जो आवेदन में लिखित है को छोड़कर हो गई है। वादी सं0 02 की ओर से उक्त प्रतिस्थापना अ ावेदन शपथ नपत्र के साथ समर्थित है एवं समय सीमा के अंतर्गत दाखिल किया गया है। अतः वादी सं0 02 की ओर से दाखिल उक्त प्रतिस्थापना आवेदन को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है।

वाद दिनांक .... को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

मुन्सिफ

सोनपुर सारण।